

तत्काल

संख्या 11014/2/84-अ0भा0से0-11

भारत सरकार

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक १४-१-८५

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के
मुख्य सचिव

विषय:- अखिल भारतीय सेवाएं मंहंगाई भत्ता नियमावली, 1972

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय विभाग ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय अतिरिक्त मंहंगाई भत्ते की दरों में पहली अगस्त, 84 तथा पहली नवम्बर 84 से संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं। देखिए दिनांक 19-1-85 का वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा० संख्या 13017/1/85-ई०-11 बी जिसकी एक प्रति संलग्न है। अखिल भारतीय सेवाएं मंहंगाई भत्ता नियमावली 1972 के नियम 3 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य उपर्युक्त तारीखों से इस कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट दरों से अतिरिक्त मंहंगाई भत्ते के हकदार हैं। अनुरोध है कि यह बात आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में ला दी जाए।

भवदीय

एम० पी० कुरूप
डेस्क अधिकारी

संख्या 11014/2/84-अ0भा0से0 11 नई दिल्ली दिनांक

प्रतिलिपि सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित:-

- 1- सभी महालेखाकार ।
- 2- गृह मंत्रालय यू०टी०एस० अनुभाग
- 3- गृह मंत्रालय आई०पी०एस० अनुभाग
- 4- कृषि विभाग आई०एफ०एस० अनुभाग
- 5- सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव/प्रशासक
- 6- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ।
- 7- निदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
- 8- निदेशक लेखा परीक्षा, वाणिज्य, कार्य तथा प्रवीण, नई दिल्ली ।
- 9- 50 अतिरिक्त प्रतियां।

एम० पी० कुरूप

डेस्क अधिकारी